"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जून 2010—आषाढ़ 1, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-18/गृह-दो/2010.—छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा रोकने हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के महाप्रबंधक (प्रशासन) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जून 2010

क्रमांक एफ 6-18/गृह-दो/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 22 जून, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd June 2010

NOTIFICATION

No. F 6-18/Home-2/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby, appoints General Manager (Administration) of Naya Raipur Development Authority, as Competent Authority to prevent unauthorised occupation on the Land of Naya Raipur Development Authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.